

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -866/2019

अनवान : -

1. सांवतदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. मालदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. शिवरतन पुत्र कुमेरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल  
निवासी चक 6 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. कल्याणसिंह पुत्र कुमेरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल  
निवासी चक 6 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. बलकेश पत्नी सादक अली जाति मुसलमान कुरेशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. राकेश कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. दीपचन्द पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. किताबों देवी पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. मानसिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. सरला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. लीलाधर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. आदराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. गुडडी पत्नी बली मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
13. स्टेट. ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :-1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी  
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 24/06/2024

वादी ने यह वाद जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 134/132 की 35.0940 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है तथा वादी ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने के कारण वादी के साथ प्रतिवादीगण आये दिन सींव व लगान व कास्त आदि का झगड़ा बना रहता है। वादी अपनी वादग्रस्त भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं माड़ी में से माड़ी के हिसाब से खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है एवं वादी उपरोक्त आशयों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काशत के अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। वादी वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स० 134/132 की 35.0940 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुशतरका खातेदार काशतकार है में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशतकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स० 134/132 की 35.0940 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 किताबो पत्नी मानसिंह 704/115372 हिस्सा, दीपचन्द पुत्र मानसिंह 6262/115372 हिस्सा, मानसिंह पुत्र अमीचंद 10416/115372 हिस्सा, राकेश पुत्र मानसिंह 7669/115372 हिस्सा, कौम जाट साकिन चक सरदारपुरा, गुडडी पत्नी बली मोहम्मद 28589/115372 जाति नीलगर साकिन नोहर, रामकुमार पुत्र हजारीराम 32890/115372 हिस्सा जाति जाट, हनुमान पुत्र रामस्वरूप 14421/115372 जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा, बलकेश पत्नी सादकअली 1442/115372 जाति मुसलमान सा० अजीतपुरा भादरा खातेदार रहन किताबो, दीपचंद, राकेश, मानसिंह, रामकुमार का हिस्सा एसबीआई नोहर के पक्ष में  
ख०न० 237 रकबा 2.5051 बारानी प्रथम, ख०न० 324 की 2.8830 हैक्ट बारानी प्रथम, ख०न० 197 की 3.2649 हैक्ट बारानी प्रथम, ख०न० 339 की 2.8842 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 4 खसरा रकबा 11.5372 हैक्ट
- 2 शिवरतन सिंह पुत्र कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, कल्याणसिंह पुत्र कुमेरदान हि० 67090/1413408, विद्याकंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, उछव कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, सुशीला कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, संतोष कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, सावंतदान पुत्र भूरदान 101498/235568 हिस्सा, मालदान पुत्र भूरदान हि० 66980/235568 कौम चारण सा० देह खातेदार रहन सावंतदान का हिस्सा पीएनबी नोहर तथा मालदान का हिस्सा एसबीआई नोहर के पक्ष में

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

ख0न0 206 की 0.8600 हैक्ट, ख0न0 347/340 की 0.1520 हैक्ट, ख0न0 327 की 1.5430 हैक्ट, ख0न0 204 की 4.6290 हैक्ट, ख0न0 402/236 की 6.6770 हैक्ट, ख0न0 236 की 0.5060 हैक्ट, ख0न0 237 की 5.1459 हैक्ट, ख0न0 197 की 0.6171 हैक्ट, ख0न0 339 की 3.6248 हैक्ट कुल खसरा 9 रकबा 23.5568 हैक्ट बारांनी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 24/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -866/2019

अनवान : -

1. सांवतदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. मालदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. शिवरतन पुत्र कुमेरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चक 6 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. कल्याणसिंह पुत्र कुमेरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चक 6 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

### बनाम

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. बलकेश पत्नी सादक अली जाति मुसलमान कुरेशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. राकेश कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. दीपचन्द पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. किताबों देवी पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. मानसिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी चकसरदारपुरा तहसील नोहर।
7. सरला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. लीलाधर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. आदराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. गुडडी पत्नी बली मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 866 सन 2019 निर्णय दिनांक.....26/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व परोकार राज की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 134/132 की 35.0940 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. किताबों पत्नी मानसिंह 704/115372 हिस्सा, दीपचन्द पुत्र मानसिंह 6262/115372 हिस्सा, मानसिंह पुत्र अमीचंद 10416/115372 हिस्सा, राकेश पुत्र मानसिंह 7669/115372 हिस्सा, कौम जाट साकिन चक सरदारपुरा, गुडडी पत्नी बली मोहम्मद 28589/115372 जाति नीलगर साकिन नोहर, रामकुमार पुत्र हजारीराम 32890/115372 हिस्सा जाति जाट, हनुमान पुत्र रामस्वरूप 14421/115372 जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा, बलकेश पत्नी सादकअली 14421/115372 जाति मुसलमान सा0 अजीतपुरा भादरा खातेदार रहन किताबों, दीपचंद, राकेश, मानसिंह, रामकुमार का हिस्सा एसबीआई नोहर के पक्ष में


ख0न0 237 रकबा 2.5051 बारानी प्रथम, ख0न0 324 की 2.8830 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 197 की 3.2649 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 339 की 2.8842 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 4 खसरा रकबा 11.5372 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

- 2 शिवरतन सिंह पुत्र कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, कल्याणसिंह पुत्र कुमेरदान हि0 67090/1413408, विद्याकंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, उछव कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, सुशीला कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, संतोष कंवर पुत्री कुमेरदान 67090/1413408 हिस्सा, सावंतदान पुत्र भूरदान 101498/235568 हिस्सा, मालदान पुत्र भूरदान हि0 66980/235568 कौम चारण सा0 देह खातेदार रहन सावंतदान का हिस्सा पीएनबी नोहर तथा मालदान का हिस्सा एसबीआई नोहर के पक्ष में  
ख0न0 206 की 0.8600 हैक्ट, ख0न0 347/340 की 0.1520 हैक्ट, ख0न0 327 की 1.5430 हैक्ट, ख0न0 204 की 4.6290 हैक्ट, ख0न0 402/236 की 6.6770 हैक्ट, ख0न0 236 की 0.5060 हैक्ट, ख0न0 237 की 5.1459 हैक्ट, ख0न0 197 की 0.6171 हैक्ट, ख0न0 339 की 3.6248 हैक्ट कुल खसरा 9 रकबा 23.5568 हैक्ट बाराणी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 24/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर